

ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com फोन / फैक्स नं० :- +91-8126660575:: पता -- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

3

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :—	1396	/ 12-1(2)	दिनांक 30	1 10	/ 2023::	
सेवा में	- /					

वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी।

विषय :— जनपद—रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत भटवाड़ी—सुनार—चन्द्रापुरी मोटर के निर्माण हेतु 0.612 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/15603/2015

सन्दर्भः – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 102 / 2016 / एफ.सी. / 1690 दिनांक 15.01.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार ⁄ बिन्दुवार) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ ने अपने पत्रांक–579 / 13सी0 दिनांक 14.03.2022 **(संलग्नक–1),** इस कार्यालय के पत्रांक–4685 / 12–1(2) दिनांक 17.06.2022 **(संलग्नक–2),** वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या–3016 / 12–1 दिनांक 25.06.2022 **(संलग्नक–3)** के द्वारा पूर्व में ही नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित कर दी गई थी।

प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुये 05 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आतिथि तक विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित है। भारत सरकार की पत्र संख्या– 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 22.03.2022 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किये जाने के पश्चात् पुनः प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ ने अपने पत्रांक–2516/13सी0 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो निम्न प्रकार प्रेषित है–

बि.सं.	शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 910 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 910 वृक्षों के वृक्षारोपण
	वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान	एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि
	दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) जमा की	(वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित)
	जायेगी ।	रुपये 13,32,240.00 (तेरह लाख बत्तीस हजार दो
		सौ चालीस) मात्र जमा की गई है। (संलग्नक-4)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र
	5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत	संख्या−5−3∕2007−एफ₀सी₀ दिनांक
	दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०)	05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व
	की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि
		रुपये 5,17,140.00 (पांच लाख सतरह हजार एक
		सौ चालीस) मात्र जमा की गई है। (संलग्नक-4
		के अनुसार)
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो	
	बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता	
	अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की	2,74,084.00 (दो लाख चौहत्तर हजार चौरासी) मात्र
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	जमा की गई है। (संलग्नक-ह)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा	
	की गई सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब	
	पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के	
	माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाए,	
	अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक	अनुसार)
	स्वीकृति की अनुपालना के रुप में मान्य नहीं होगी।	

क्रमशः—2 पर

बद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक-6)		(2)		- 5
State Court will unlead FPA contificate of DM प्रयोक्ता अभिकरण दारा अवगत कराया गया कि	5	के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन	सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचन बद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक–6)	5147 110/20
after authentication due to correction in area and will provide the original hard copy of the same. जिसकी मूल प्रति पूर्व में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी तथा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-7)	6	will provide the original hard copy of the same	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित कियो गया, जिसकी मूल प्रति पूर्व में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी तथा	A A

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (तीन प्रतियों में)

भवदीय

(अमिमन्यू) उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

OIC

संख्या<u> १९९८ ∕दिनांकित।</u> प्रतिलिपि 1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि 2:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ

प्रेषित ।

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।



पत्रांक

कार्यालय अधिशाँसी आंभेयन्ता निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

दिनांक **04/10**/2023

प्राम्

3

111 A

सेवा में,

/ 13सी.

विषयः--

सन्दर्भः-

2516

उपवन सरंक्षक, जनपद—रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत भटवाड़ी—सुनार—चन्द्रापुरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.612 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र संख्या 8बी॰ / यू॰सी॰पी॰ / 06 / 102 / 2016 / एफ॰सी॰ / 1690 दिनांक 15-01-2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 579 / 13सी॰ दिनांक 14–03–2022 |

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पनः निम्नवत पेषित है--

ાહ્લા પ્	नः निम्नवत् प्रेषित हैः–	अनुपालन आख्या
		खण्ड द्वारा दस गुना (91x10=910)
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 910 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	वृक्षारोपण एव 10 पपा (14 रख–रखाव हेतु रु 1332240.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ॰सी॰ दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन॰पी॰वी॰) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन। पोया जा उत्तर राष्ट्र 517140.0 एन पी.वी. की धनराशि रु 517140.0 एवं पुनः बढी हुई दरों पर एन पी.वी की धनराशि रु 274084.00 क भुगतान वन विभाग के पक्ष में जम् किया जा चुका है। (शुलभ सन्दर्भ हे छायाप्रति सलंग्न है)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	बढी हुई दरों के अनुसार पु एन॰पी॰वी॰ की धनराशि रु 274084.0 का भुगतान वन विभाग के पक्ष जमा किया जा चुका है। (छायाप्र सलंग्न)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियाँ (CA Cast, N.P.V. etc.) को वेब पोर्टल पर आनॅलाईन Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित आनॅलाईन बैंक में जमा किये जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी।	भुगतान रु 1849380.00 एव बढा दरों पर पुनः एन.पी.वी. रु 274084. का भुगतान प्रभागीय वनाधिक रुद्रप्रयाग से आकलन प्राप्त होने उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुप ही किया गया है, खण्ड द्वारा भुगतान वन विभाग के पक्ष में उ किया जा चुका है। (शुलभ सन्दर्भ आनॅलाइन प्राप्त पावती रसीद सत है।)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोन किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अप व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation क जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	ो वृक्षारोपण से सम्बन्धित बचनबद्वता प्रमाण–पत्र सलंग्न है।
	जायगा। इस आराप प्रान्तपाय प्र State Govt. will upload FRA Certificate of DM afte	r rra shin-43 t st concer
AL 6	State oover many	

authrntication due to corre	ection in area and will	का रि	जेलाधिकारी	महोदय	से	पुनः
provide the original hard co	by of the suffic.	मूल प्र	न कराया ति पूर्व में ई षेत की गई	ी प्रस्ताव		

सलग्नः– उपरोक्तानुसार 3–3 प्रतियों में।

4/10/05 (इ. मनोज कुमार भट्ट) अधिशासी अभियन्ता

/ / 2023

पत्रांक

/ 13सी₀ प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

निर्माण खण्ड, लोेब्निब्विब, रुक्रखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

दिनांक

49130



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग) Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक ८२९ / १३सी.

दिनांक 14/03/2022

•

सेवा में,

सरंक्षक र्लद्रप्रयाग, वन्यजीव प्रभाग, रूद्रप्रयाग ।

विषयः--

सन्दर्भः–

जनपद- रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत भटवाड़ी-सुनार-चन्द्रापुरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.612 है. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं. 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 102 / 2016 / एफ.सी. / 1690 दिनांक 15–01–2018 |

महोदय,

23 252

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है:–

			अनुपालन आख्या
[बिन्दु	शर्त का विवरण	3
-	संख्या १	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 910 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि	खण्ड द्वारा दस गुना (91X10=910) वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव
		(वर्तमान दर्रों को समाहित करत हुय यथासर्गायस) जमा की जायेगी।	हेतु ₹1332240.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। एन•पी•वी• की धनराशि वन विभाग के पक्ष
	2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.	एन.पा.वा. को धनसार पन पिनान के जा में जमा की जा चुकी है। (शुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति सलंग्न है।)
		मिती) की निर्धारित राशि जमा का जायगा।	
	3	पा.पा.) पंग निवारित साथ शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की	–तदैव–
		प्रयोक्ता आमकरण द्वारा पंचन पद्यता गरेखुत करें जाए। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा	ज्यप्रद दारा श्वतिपरक वश्वारोपण वक्षों का
	4	की गई सभी निधियाँ (CA Cast, N.P.V. etc.) को	रख–रखाव व एन॰पी॰वी॰ का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग से
A			आकलन प्राप्त हान क उपरान्त निधारित
2770		जमा किये जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्वान्तिक रवीकृति की अनुपालना के रूप	खण्ड द्वारा पूर्ण भुगतान 1849380.00 वन
omore		में मान्य नही होगी।	विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।(शुलम सन्दर्भ हेतु आनॅलाइन प्राप्त
	1		पावती रसीद सलग्न है।)
HZ /	¥		
5000	*		
25-3-	22		
6 S S			

सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ—जहॉ सम्भव हो जहॉ–्र 5 सम्भव हो रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोक सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर से सम्बन्धित बचनबद्वता का प्रमाण-फ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग सलंग्न है। की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी। FRA प्रमाण-पत्र में हुऐ correction का State Govt. will upload FRA certificate 6 जिलाधिकारी महोदय से पुनः सत्यापन of DM after authentication due to कराया गया। ज़िसकी मूल प्रति सलंग्न correction in area and will provide the है। •, original hard copy of the same,

सलग्नः- उपरोक्तानुसार।

١

भवदीय. why TU103/20 (इं. मनोज कुमार भट्ट) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लॉ॰नि॰वि॰ क्रिखीमठ (रुद्र प्रयाम्)।

/ 2022


सडक निर्माण के पश्चात

पत्रांक / 13सी。

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

दिनांक



गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी ।

जनपद—रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत भटवाड़ी—सुनार—चन्द्रपुरी मोटर के निर्माण हेतु 0.612 है0 वन भूमि विषय :--का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/15603/2015

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सन्दर्भ :--संख्या—8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 102 / 2016 / एफ.सी. / 1690 दिनांक 15.01.2018 |

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ ने अपने पत्रांक–579 / 13सी0 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्न प्रकार

है_	
Q.	

dV

-		
बि.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 910 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेख्रु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 910 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) जमा की गई है। (संलग्नक–1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की गई है। (संलग्नक–1 के अनुसार)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	जमा किय जान हतु प्रयाक्ती आमकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। (संलग्नक–2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रुप में मान्य नहीं होगी।	NPV etc.) की वर्ष पाटल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया गया है। (संलग्नक–1 के अनुसार)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां—जहां सभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	कि दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की

क्रमशः–2 पर

•;

	(2)		
6	State Govt. will upload FRA certificate of DM after authentication due to correction in area and will provide the original hard copy of the same.	क्षित्रफल म सुधार के उपराण राषावर्ण जि	पत्रों पर लाधिकारी गई हैं।
संलग्नव	b:- उपरोक्तानुसार। (मूल सहित तीन प्रतियों में)	भवदीय	

•; र्सरक्षक, रुद्रप्रयाग वृन् प्रेभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 4685 / दिनांकित।

۱

. •

प्रतिलिपि 1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि 2:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ को उनके उक्त पत्र कें क्रम में सूचनार्थ

प्रेषित ।

न_∕संरक्षक, द्भुम रूद्रप्रयाग वृन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।



सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय— जनपद—रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत भटवाड़ी—सुनार—चन्द्रपुरी मोटर के निर्माण हेतु 0.612 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। प्रस्ताव संo FP/UK/ROAD/15603/2015

सन्दर्भ— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 102 / 2016 / एफ.सी. / 1690 दिनॉक 15.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 4685 / 12–1(2) दिनॉक 17.06.2022 से अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की संशोधित अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 ऊखीमठ ने अपने पत्रांक 579 / 13 सी0 दिनॉक 14.03.2022 से निम्नप्रकार प्रेषित की गई है:–

शर्त सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 910 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वाँरा 910 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हये यथासंशोधित) जमा की गई है। (संलग्नक–1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3 / 2007—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की गई है। (संलग्नक—1 के अनुसार)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। (संलग्नक–2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate	NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किंये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया गया है। (संलग्नक–1 के अनसार)

क्रमशः पेज 02 पर


JAIDEEP

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

5	सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की	सड़क निर्माण के पश्चात जहां—जहां सभंव हो सड़त के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग क देख—रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक—3)
6	State Govt. will upload FRA certificate of DM after authentication due to correction in area and will provide the original hard copy of the same.	

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें। यथोपरि

संलग्नः–



(एन०एन०प्रण्डिय) वन ईरिक्ष पत्रांक २०१७ /२-१ पत्रांक प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित। (एन०एन्र्(प्राण्डेय) उत्तराखण्ड,पौड़ी।

भवदीय

JAIDEEP

Fictorias A The state of the state W. Karle NEFT RTGS CHALLAN BANK COPY Union Bank यूनियन बैंब NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds Date : 02-11-2021 EECDPWDUKM Agency Name. 6115603664 Application No. 8B/UCP/06/102/2016/FC MoEF/SG File No. UTTARANCHAL Location. EXECUTIVE ENGINEER CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAG Address: P.(. Stooted Rudraprayag 1849380/-Amount(in Rs) Amount in Words Eighteen Lakh Forty-Nine Thousand Three Hundred and Eighty Ruppes Only SBIAIRS202111 9653712680 सहायवर्अभिमयन्ता निम्लर्ण खण्ड लो०नि०वि० रतीय रहेट बेंक State Bany of India उखीमव, उद्याग-02498 NEFT/RTGS to be made as per following ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग) details; भ UTTARANCHAL CAMPA **Beneficiary Name:** UBIN0903710 -NA IFSC Code: CHECKER 150896115603664 Pay to Account No. Valid only for this challen amount. MAKER Union Bank Of India Bank Name & Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Address: UWU Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 Executive Engineè. Const.Div. P.W.S This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only Ukhimath (Rudrapryag)

ay send a line of confirmation through

AGENCY COPY			BANK COPY	
		Contration at alle (In) Asabasan Asianals		
		State and a state of the state		
NEFT/RTGS CI Date : 11:08-2023	IALLAN for CAMPA Funds	NEFT / RTGS C Date : 11-08-2023	CHALLAN for CAMPA Funds	
Agency Name.	EECDPWDUKM	Agency Name.	EECOPWDUKM	
endration flo.	6115603356	Application, No.	6115603356	
	8B/UCP/06/102/2016/FC	MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/102/2016/FC	
EF/SG File No.		Location.	UTTARANCHAL	
cation. Mooss	UTTARANCHAL EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAGRudraprayag	Address:	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAG Rudraprayag	
·	5 - 4	Amount(in Rs)	274084/-	
Amount(in Rs) 274084/- Amount In Words : Two Lakh Seventy-Four Thousand and Lighty-Four Rupees Only			Lakh Seventy-Four Thousand and y	

UTTARANCHAL CAMPA

UBIN0996335

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

150896115603356

Valid only for this challan amount. Union Bank Of India

FCS Contre,21/1, III Floor,

Jelifta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

.

Beneficiary Name:

Pay to Account No.

a Code

Bank Hame &

Address:

П

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IESC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896115603356
	Valid only for this challan amount
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 24/4, III Floor Jelita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

410/11y ES

1/1

This Challan is strictly payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference je to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Cheque No 850316 Dute: 16.09,2023 गधिणासी याँगयहका मिमांग क्षण्ड लोगनितीत्, तत्वीजर 2 274084.00 (. Atter WIDID BE SURTH Cint of India 1.1)ر .. nrifty : WELLSHJU. 6:2.198 211611-5231116 424332 NO The interference of the second and the second and the second seco trans of BHUPENDRA RIKHARI CHECKER MAKLI

Fer 105 - 6

परियोजना का नामः— जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला योजना के अन्तर्गत भटवाडी—सुनार—चन्द्रापुरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में किये जाने की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग निर्माण के पश्चात् मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation करा दिया जायेंगा।

अक्तिशारूप्री अभिम्बन्स निर्माला खण्डलोकेनिविविक ऊखीसुद्धी कुद्धायाग)

P. (. Altorid

ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग)

सहायक आभयता निमार्ण खण्ड लो०नि०वि०

<u>प्रपत्र-23.4</u>

परियोजना का नाम :--जनपद ख्द्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारमाथ में जिला योजना के अन्तर्गत भटवाड़ी-सुनार-चन्द्रापुरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-ख़द्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला झोजना के अन्तर्गत भटवाड़ी-सुनार-चन्द्रापुरी. मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। हेतु (0.612) है. पंचायती वनभूमि लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं॰ 11-9/98-एफ॰सी॰, दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नंहर निर्माण, पारेषण लाईन, रोपवे. ओ॰एफ॰सी॰, कोबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर अत्विकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

> जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

ANNEXURE.....

2010- 1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.S

A meeting of the district level committee of <u>Rudraprayag</u> district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of <u>Mr. Dr. Raghav Langar</u> District Magistrate <u>Rudraprayag</u> on date 14.-01-15.. at time 2:07.PM...at <u>Rudraprayag</u> in which application claiming rights in <u>Forest</u> area measuring <u>Desi2</u> <u>hect</u> for Transfer <u>Bhatwari-Sunar-Chandrapuri</u>, <u>motor road under district sector</u> of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition 35 level committee of <u>S.D.M.</u> sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag Dated:....

(Dr. Raghav Langar)

District Magistrate-cum-Chairman, District Level Commi**ger Huntappuy**ag

Form-I

(For linear projects) Government of uttarakhand Office of the District collector- Rudraprayag

18-12-2014 Dated_____

संलग्नि - (4)

No____6

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of india's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that (0.612) hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D. Ukhimath Rudraprayag (name of user agency) for Construction of Bhatwari-Sunar-Chandrapuri. motor road under district sector (purpose for diversion of forst land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Bhatwari-Sunar, villages in Ukhimath tehsil It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire (0.612) Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sahha(s) Sub-Division Level Commttee(s) and the District Level

committee are enclosed as annexure 1 and annexure 2.

- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Grama Sabhas have
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and preagricultural communities.

Encl As above.

(Full name and official seal of the Distric